कार्यालय अंचल अधिकारी, रातु (राँची)

पत्रांकः– 667(II)
दिनांकः– 12/10/18

प्रेषक

अंचल अधिकारी,
रातू (राँची)।

सेवा में,

उप समाहर्ता भूमि सुधार
सदर, रांची।

विषयः– **विविध वाद के अभिलेख का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदक श्री नवीन कुमार पिता स्व0 दिनेश लाल निवास हरमु हाउसिंग कॉलोनी रांची से प्राप्त आवेदन पत्र पर विविध वाद तैयार कर विविद वाद सं0 5/17–18 एवं 06/17–18 मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा जाता है।

अनु0:– यथोपरि

विश्वासभाजन

12/10/18

अंचल अधिकारी
रातू।

12/10/18

05.12.18

O/C

कार्यालय, अंचल अधिकारी, रातू रांची

5211/18

विविध वाद संख्या - 6/17-18

की क्रम, एव ता:	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख स
17/7/17 12/10/18	अभिलेख उपस्थापित/ हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख वद्ध है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदन किया है कि विक्रय डीड सं0–773 दिनांक 13.05.2013 रकबा 05.5डी0 भूमि क्रेता प्रशान्त कुमार झा पिता सर्वजीत झा दा0खा0 वाद सं0–944आर27/14–15 द्वारा स्वीकृत कराकर जमाबंदी दर्ज है। जिसमें सरोज लाल पिता स्व0 दिनेश लाल के स्थान पर फर्जी व्यक्ति खडाकर रजिस्ट्री पश्चात प्रशान्त कुमार झा पिता सर्वजीत झा के नाम से जमाबंदी दर्ज है जो फर्जी वाड़ा है। इस संबंध में निबंधक शहरी क्षेत्र सं0–03 (कांके प्रक्षेत्र) रांची के पत्रांक 326 दिनांक 04.12.2017 द्वारा उपायुक्त रांची के कार्यालय के फर्जी वाद सं0–04/2017–18 में उपायुक्त रांची के आदेश की प्रति संलग्न कर भेजते हुेय थाना प्रभारी लालपुर, रांची को अरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस संबंध में संलग्न फर्जी वाद सं0–04/2017–18 की संलग्न प्रति में उपायुक्त, रांची ने आदेश दिया है कि रकबा 03डी0,03डी0 एंव 5.50डी0 खाता सं0–03 प्लॉट सं0–109 मौजा नौवासोसो, थाना–रातू रांची से संबंधित रजिस्ट्री डीड वाद सं0–771,772 एवं 773 दिनांक 13.05.2013 को क्रेता श्रीमति प्रेरण प्रज्ञा पति विनित कुमार निवास ग्राम– जानुम थाना–अनगड़ा, रांची, श्रीमति अर्चना कुमारी पति श्री मुकेश कुमार निवास ग्राम–सरकारी कुनवा मार्ग अल्का पुरी रोड, थाना–सुखदेवनगर, रांची एंव प्रशान्त कुमार झा पिता सर्वजीत झा, निवास मदरसा, पोस्ट–हनुमान नगर विया बुटी थाना–वरसा जिला सितामढ़ी (बिहार) के नाम किया गया रजिस्ट्री डीड को रद्द किया है। अतः उपायुक्त, रांची के फर्जी वाद सं0–04/17–18 में दिनांक 10. 11.2017 को पारित आदेश के आलोक मे तथा हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एंव आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर मौजा–नौवासोसो थाना सं0–150 खाता सं0–03 प्लॉट सं0–109 रकबा–03डी0 भूमि के मूल रैयत श्रीमति सरोज लाल पति स्व0 दिनेश लाल, पता–मोहल्ला हेसल, देवी मंडप रातु रोड, थाना–सुखदेवनगर रांची का जमाबंदी यथावत रखते हुये, विपक्ष श्री प्रशान्त कुमार झा पिता सर्वजीत झा निवास ग्राम– मौजा–नौवासोसो पोस्ट–कमड़े थाना–रातू रांची, झारखण्ड के नाम दा0खा0 वाद संख्या 944आर27/14–15 द्वारा स्वीकृत कराकर दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया जाता है।	

मूल अभिलेख उपसमाहर्ता, भूमि सुधार सदर रांची को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

रातू।